फर्द अहकाम
नियम 25
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (अलवर)

जयवीरसिंह पुत्र श्री जलजीतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गिगलाना तह0 नीमराना
बनाम
रेवती देवी पत्नी लालसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम नागवास तह0 नीमराना

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट न0 79 सन 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	06.04.2023 आज यह प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0ए0 के अन्तर्गत पेश किया रिपोर्ट सरिस्ते हो चुकी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का प्रकरण पृथम दृष्टया बनता है। सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में होना प्रतित होती है। अतः आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 327,333 वाके ग्राम गिगलाना तह0 नीमराना के मौका एवं रिकॉर्ड यथास्थिति बनाये रखे। इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वंय अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करे। प्रार्थी यदि तीन दिवस में पत्रावली में रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलबाना पेश करने में विफल रहते हैं। तो आगामी पेशी पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा स्वंत ही अपास्त मानी जावेगी। पत्रावली वास्ते रजिस्ट्रर्ड ए0डी0 तलबी दिनांक 08.05.2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर) राज.	

Form No. III

फर्द अहकाम

नियम 25

बइजलास अदालत .... मुकाम ....

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा .... नं. .... सन् ....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए।
[illegible]	आज पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकेन उप. श्री पीठासीन अधिकारी अवकाश/दौरे मिटिंग मे पधारे है। पत्रावली उनके समक्ष दि0 17-7-23 को पेश हो।	
17-7-23	आज पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकेन उप श्री पीठासीन अधिकारी अवकाश/दौरे मिटिंग मे पधारे है। पत्रावली उनके समक्ष दि0 16-10-23 को पेश हो।	
16-10-23	आज यह पत्रावली पेश हुई। नायब तहसीलदार नीमराना द्वारा कार्य [illegible] किये जाने का ज्ञापन पेश किया है। पत्रावली पूर्व [illegible] अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20-3-24 .... को पेश हो। रीडर	
20-3-24	आज पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। पत्रावली में मूल वाद अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज हो चुका है। अतः प्रा०पत्र भी अदम पैरवी अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रा० फैसल शुमार होकर नम्बर सेक्शन हो। वाद प्रति संलग्न मूल वाद रहे।	

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपुतली-बहरोड़)